भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2314
12 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

बिहार में प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना का कार्यान्वयन

2314. श्री रामनाथ ठाकुरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि बाजार पहुंचने से पहले किसानों की उपज को कोई हानि न पहुंचे और कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस दिशा में किन-किन राज्यों में कार्य शुरू किया है; और

(घ) क्या बिहार में इस योजना के तहत किसानों के हित में कार्य चल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कृषि/मैरीन उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर बिहार राज्य सहित पूरे देश में सभी कृषि एवं मैरीन उत्पादों के परिरक्षण तथा प्रसंस्करण के सुगमीकरण के लिए आधुनिक अवसंरचना एवं कार्यक्षम आपूर्ति श्रृंखला का सृजन करने के उद्देश्य से अन्य के साथ-साथ स्कीम घटकों अर्थात (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (iv) बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन, (v) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, (vi) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान के साथ केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम- प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना कार्यान्वित कर रहा है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर चयनित राज्यों में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसल मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के एकीकृत विकास हेतु नवम्बर, 2018 से पीएमकेएसवाई की वर्टीकल स्कीम के रूप में "ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम भी चला रहा है । पीएमकेएसवाई देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्रदान करता है, इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा कृषि उपज की कच्ची सामग्री के रूप में अधिक मांग के कारण किसानों को उनकी उपजों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है । इस प्रकार, यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के अलावा किसानों की आय को दोगुना करने, कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी करने, खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।

पीएमकेएसवाई की स्कीमें मांग प्रेरित हैं । मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारी समितियों, सोसायटियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कंपनियों और केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को अनुदान सहायता के रूप में पूंजी सब्सिडी देता है ।

बिहार राज्य में 78.36 करोड़ रुपए के अनुमोदित अनुदान की कुल 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनका ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है ।

*****

संलग्नक

बिहार में प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन के बारे में दिनांक 12 जुलाई, 2019 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2314 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

बिहार में प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना की स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित की गई अनुदान राशि सहित अनुमोदित की गईं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**स्वीकृत की गईं परियोजनाओं की सं.**	**अनुमोदित अनुदान की राशि (करोड़ रुपए)**
1	मेगा फूड पार्क	1	43.77
2	एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना	3	26.68
3	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	1	7.91
	कुल	**5**	**78.36**

******